न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/रेप व पॉक्सो ऐक्ट कोर्ट संख्या–१, बहराइच।

सत्र परीक्षण संख्या ११४/२०१४

सरकार.....................**बनाम**.....................रहमत अली

(सी.एन.आर. यू०पी० बी.एच.०१०००३३८२०१४)

जे०ओ० कोड संख्या यू०पी०६२४६,

अपराध संख्या–२८५/२०१३

धारा–३७६,५०६भा०द०सं०

थाना–नवाबगंज,बहराइच।

बयान अन्तर्गत धारा ३१३ द०प्र०सं०

नाम– आयु वर्ष पिता का नाम

पेशा– निवासी–

थाना– जिला–

प्रश्न नं०–१ अभियोजन कथानक अनुसार दिनांक ०८.०७.२०१३ को समय ७.०० बजे शाम स्थान ग्राम राजापुर दा० जलालपुर थाना नवाबगंज जिला बहराइच में जब वादी मुकदमा गाँव के बाहर शौच करने गयी थी तब आपके द्वारा उसे पकड़कर बाग में ले जाकर उसे पटककर उसकी इच्छा के विरूद्ध उसके साथ बलात्कार किया गया और विरोध करने पर उसे जान माल की धमकी दिया गया। इस सम्बन्ध में आपको क्या कहना है?

उत्तरः–

प्रश्न नं०–२ अभियोजन साक्षी १ पीड़िता द्वारा सशपथ यह बयान दिया गया है कि घटना वाले दिन शाम सात बजे वह शौच करने गाँव के बाहर खेत में गयी थी। पहले से घात लगाये बैठे रहमत अली ने उसे पकड़ लिया और बगल के बाग में उठा ले गये और पटककर उसके साथ जबरदस्ती बलात्कार किया। विरोध करने पर उसे जान से मारने की धमकी दिया। इस सम्बन्ध में आपको क्या कहना है?

उत्तरः–

प्रश्न नं०–३ यह कि अभियोजन साक्षी २ आरक्षी संतोष यादव द्वारा सशपथ बयान देते हुए चिक एफ०आई०आर० और कायमी जी०डी० को साबित किया गया है। इस सम्बन्ध में आपको क्या कहना है?

उत्तरः–

प्रश्न नं०–४ अभियोजन साक्षी ३ संजय कुमार दूबे द्वारा सशपथ बयान देते हुए आरोप पत्र एवं नक्शा नजरी घटना स्थल को साबित किया गया है। इस सम्बन्ध में आपको क्या कहना है?

उत्तरः–

प्रश्न नं०–५ अभियोजन साक्षी ४ डाक्टर अनुराधा मिश्रा द्वारा सशपथ यह बयान दिया गया है कि दिनांक ११.०७.२०१३ को समय १.३० पी०एम० पर उनके द्वारा पीड़िता का चिकित्सीय परीक्षण किया गया था। हाइमन ओल्ड टार्नड हील्ड था। चिकित्सक द्वारा आपके विरूद्ध चिकित्सीय रिपोर्ट तथा पूरक चिकित्सीय रिपोर्ट को साबित किया गया है। इस

सम्बन्ध में आपको क्या कहना है?

उत्तरः–

प्रश्न नं०–६ पीड़िता द्वारा अपने बयान अन्तर्गत धारा १६४ द०प्र०सं० में सशपथ यह बयान दिया गया है कि घटना वाली शाम को वह शौच के लिए बैठी हुई थी तब पीछे से रहमत अली जो पहले से ही झाड़ी में छिपा था,आकर पीछे से उसका मुंह दबा लिया और पटक दिया और गलत काम करने लगा। छोड़ने के लिए जब वह हाथ पैर पटकने लगी तब उसे मारने लगे। रहमत अली ने उसका मुंह कपड़े से बाँध दिया था जिसके कारण वह चिल्ला नहीं सकी। बुरा काम करने के बाद रहमत अली उसे वहीं छोड़कर भाग गया। इस सम्बन्ध में आपको क्या कहना है?

उत्तरः–

प्रश्न नं०–७ अभियोजन द्वारा प्रलेखीय साक्ष्य में तहरीर पीड़िता प्रदर्श क–१, बयान पीड़िता अन्तर्गत धारा १६४ द०प्र०सं० प्रदर्श क–२, चिक एफ०आई०आर० प्रदर्श क–३, कायमी जी०डी० प्रदर्श क–४, नक्शा नजरी प्रदर्श क–५,आरोपपत्र प्रदर्श क–६, चिकित्सीय रिपोर्ट प्रदर्श क–७,पूरक चिकित्सीय रिपोर्ट प्रदर्श क–८ प्रस्तुत किया गया है। इस सम्बन्ध में आपको क्या कहना है?

उत्तरः–

प्रश्न नं०–८ आपके विरूद्ध मुकदमा क्यों चला?

उत्तरः–

प्रश्न नं०–९ क्या आपको बचाव में कोई साक्ष्य प्रस्तुत करना है?

उत्तरः–

प्रश्न नं०–१० क्या आपको कुछ और कहना है?

उत्तरः–

सुनकर तस्दीक किया गया।

अभियुक्त के बताने के अनुसार
स्वयं मेरे द्वारा अंकित किया गया।

(अमित कुमार पाण्डेय)
अपर सत्र न्यायाधीश/रेप व पॉक्सो ऐक्ट
कोर्ट संख्या–१, बहराइच।
दिनांक १२.०३.२०२१